मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश

C-Wing, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

क्र.6406/एम.आई.एस./2008

प्रति,

भोपाल दिनांक 28.08.2008

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ....(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत..........................(समस्त)

विषयः– भारत सरकार द्वारा स्टेट नोडल अधिकारियों की बैठक एवं वीडियो कान्फरसिं में दिये गये निर्देशों के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा एम.आई.एस की नियमित समीक्षा अंतर्गत नियमित रूप से राज्य नोडल अधिकारियों एम.आई.एस. मानिटरिंग की माह जुलाई 2008 से मासि समीक्षा बैठक एवं राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है। प्रथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 17.08.2008 में राज्य की ओर से श्री आइ.एस. दाणी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शास श्री मती रश्मी अरूण शमी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री ए.के. सिंह संयुक्त आयुक्त एवं श्री उवैस अहमद स्टे नोडल अधिकारी एम.आई.एस. उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा एम.आई.एस. के क्रियान्वयन हेतु दिया गए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्रगति का एम.आई.एस. प्राथमिकता के साथ किया जाय तथा न सितम्बर से एम.आई.एस. सापटवेयर के माध्यम से मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाने व कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जावें।
2. प्रत्येक जनपद एवं जिले पर एम.आई.एस. नोडल अधिकारी का नामांकन कर साफ्ट कॉपी निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रेषित करें (प्रारूप दिनांक 20.08.2008 को ई–मेल के माध्यम से भे जा चुका है)।
3. एन.आर.ई.जी.ए. सापटवेयर के समस्त माडयूल्स जैसे जॉब कार्ड, रजिस्ट्रेशन, कार्य की मांग, क प्रबंधन, फंड फ्लो, मस्टर रोल पर नियमित इन्ट्री की जाय।
4. जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में जारी आवंटन की आनलाईन डाटा इन्ट्री एम.आई.एस. : ऑनालाइन सापटवेयर में 02.09.2008 तक पूर्ण कर लिया जाय।
5. तृतीय चरण के जिलों द्वारा एन.आर.ई.जी.ए. वेबसाइट पर आई.सी.टी. (इन्फॉरमेशन कम्यूनिकेश टेक्नालॉजी) के जिलो एवं जनपदों पर उपलब्ध संसाधन की निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन डा इन्ट्री तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिलों द्वारा पूर्व में भरी गई जानकारी को अद्यतन करें।
6. प्रत्येक जिले एवं जनपद पर प्रतिदिन नियमित रूप से एम.आई.एस. की प्रगति की समीक्षा : जाय।
7. नियमित रूप से डाटा अपलोड करना।

...राज्य रोजगार गारंटी परिषद
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - मध्य प्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
C-Wing, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

8. प्रत्येक जनपद पर एम.आई.एस. हेतु आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करें।

9. ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें आनलाईन कोई भी पंजीयन प्रदर्शित नहीं हो रहा है (विशेष रूप प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिले जिनकी सूची ई–मेल के माध्यम से जिलों को भेजी जा चुकी के संबंध में कारण सहित जानकारी भेंजे जिसमें यह स्पष्ट हो कि उक्त ग्राम पंचायत में पंजीयन होने का कारण क्या है। अगर उक्त ग्राम पंचायतें वर्तमान में अस्तित्व में नही है तो ऐसी ग्र पंचायतों को ऑनलाइन सूची से विलोपित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा जावेगा

भारत सरकार द्वारा आगामी वीडियो कांफेसिंग दिनांक 04.09.2008 को आयोजित की गई है अ दिनांक 02.09.2008 को उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की प्रगति की पूर्ण जानकारी सहित जि के एम.आईएस. नोडल अधिकारी को प्रातः 11:00 बजे ~~मुख्यालय~~ में उपस्थित होने हेतु निर्देशि करें।

(signature) 2.9.2.08

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./3134 /NREGS-MP/TECH/09 भोपाल, दिनांक 12/3 /2009

प्रति,

<u>अत्यंत आवश्यक</u>

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
  (समस्त जिले)

विषयः– लेबर बजट 2009–10 का एम. आई. आई. अनुसार प्रस्तुतिकरण हेतु बैठक ।

संदर्भः– सं. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 20 फरवरी 2009 एवं 20 फरवरी 2009 एवं दिनांक 07 मार्च 2009 को वीडियो कान्फ्रेंस के निर्देश ।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलों का वर्ष 2009–10 का लेबर बजट एन.आर.ई.जी.ए. एम0 आई0 एस0 के माध्यम से से दिनांक 27.02.2009 से पूर्व तक प्रेषित किया जावे । भारत सरकार में केवल एम0 आई0 एस0 के ऑन लाइन लेबर बजट अनुसार ही नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में जिलेवार चर्चा की जावेगी ।

जिलों द्वारा परिषद् को प्रेषित लेबर बजट एवं विगत वर्षों की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण उपरांत प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया है । विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि जिलों द्वारा प्रेषित आंकड़ों में विसंगतियां हैं ।

अतः निर्देशानुसार जिलों द्वारा उक्त विसंगतियों को दूर करने एवं एम0 आई0 एस0 में आवश्यक सुधार करने हेतु दिनांक 07 मार्च, 2009 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिस्टम एनालिस्ट द्वारा समस्त जिलों द्वारा चर्चा की गई तथा उन्हें लेबर बजट में आवश्यक सुधार कर दिनांक 10 मार्च तक अपडेट डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे ।

दिनांक 12.03.2009 को ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार अधिकांश [illegible]

दिनांक 16 मार्च को नईदिल्ली में लेबर बजट की बैठक में जिलों के बजट की ऑनलाईन एन्ट्री से चर्चा कर अंतिम रूप दिया जावेगा । अतः इसकी पूर्व तैयारी हेतु जिलों से परिषद् में लेबर बजट के आन लाइन आंकड़ों के आधार पर चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित की जा रही है ।

बैठक का विवरण नियमानुसार है :–

जिला	प्रस्तुतिकरण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय
भोपाल	दिनांक 12.03.2009 को दोपहर 3.00 बजे से
रायसेन	
विदिशा	
होशंगाबाद	
सीहोर	
प्रथम चरण के समस्त जिले	दिनांक 13.03.2009 को प्रातः 11 बजे से 6 बजे तक
द्वितीय चरण के समस्त एवं तृतीय चरण के शेष जिले	दिनांक 14.03.2009 को प्रातः 11 बजे से 6 बजे तक

उक्त बैठक में परियोजना अधिकारी/सहायक कार्यकम अधिकारी व डाटा मैनेजर सम्मिलित होगें तथा एम0आई0एस0 जनपदवार ऑफलाइन एवं आनलाइन लेबर बजट रिपोर्ट का स्क्रीन शार्ट लेकर बैठक में उपस्थित रहेंगे ।

बैठक में समस्त जनपदों का लेबर बजट का अद्यतन ऑफलाइन डाटा का बैकअप अनिवार्य रूप से साथ में लावें ।

12.3.09

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
५६, नर्मदा भवन , अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रं/ 2149 भोपाल, दिनांक 12.01.2009

प्रति,

१.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत समस्त
मध्यप्रदेश

२. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः- रा.ग्रा. रोजगार गांरटी योजना अंतर्गत एम.आई.एस. आउटसोर्स एजेन्सी का मूल्यांकन विहित रीति से करने बाबत्

सन्दर्भः- मुख्यालय के निर्देश क्र.६५३७/एम.आई.एस./२००८ दिनांक २०.१०.२००८

मुख्यालय के संदर्भित आदेश के बिन्दु क्र. ३.१,३.२ एवं ३.३ द्वारा एम.आई.एस. आउटसोर्स एजेन्सी के मासिक भुगतान, कटौत्री नियम व मुल्यांकन व अनुबंध समाप्ति व कालीसूचीवद्ध करने की प्रकिया निर्धाणि विहित रीति से करने हेतु निर्देश जारी किया गये थे एवं निर्देशानुसार मासिक प्रगति समय पर न देने पर विहित रीति से कतोत्री करने व दो माह से अधिक तक अनुपातिक प्रगति न देने पर कालीसूचीवद्ध करने व अनुबंध समाप्ति हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ।

मुख्यालय स्तर पर एजेन्सीयों के कार्यो की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया है कि जनपदो में एजेन्सीयों के भुगतान में निर्देशानुसार कार्यवाही नही की जा रही है। एजेन्सीयों की समय पर मासिक अनुपातिक प्रगति न देने पर भी बाबजूद उन्हे अनियमित भुगतान किया जा रहा है तथा उनके कार्यकाल में वृध्दि तक कर दी गई है जबकि निर्देशानुसार केवल विहित प्रक्रिया के माध्यम से ही एजेन्सी का निर्धारण किया जाना था।

कुछ जनपदों में एजेन्सी के खराब प्रगति के कारण एजेन्सीयों का यद्यपि केवल आंशिक भुगतान किया गया परन्तु ऐसी एजेन्सी के विरुध्द कोई कार्यवाही नही की गई उक्त कृत अनियमितता की श्रेणी में आते है। खराब प्रगति के बाबजूद एजेन्सी को निरन्तर रखने के कारण एजेन्सी के भुगतान करने की स्थिति निर्मित होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

जिलो द्वारा एक सप्ताह में निम्नलिखित जानकारी का परीक्षण कराकर मुख्यालय प्रेषित किया जावे

१. अगर एजेन्सी का माह नबम्वर/दिस. ०८ तक का भुगतान कर दिया गया है तो एजेन्सी को **अब तक किया गया भुगतान एवं उसका औचित्य , एजेन्सी अनुबंध की सत्यापित प्रति , एजेन्सी की प्रथम नियुक्ति से वर्तमान तक कुल कार्यकाल की अवधि तथा अब तक किया गया कुल भुगतान एवं जनपदवार योजना अन्तर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन** एवं उसका तत्समय किया गया एम.आईएस. की मासिक प्रगति, एजेन्सी द्वारा जनपद पर उपलब्ध काये गये कम्प्यूटर्स उपकरण , कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थिति व उनकी योग्यता व एम.आई.एस प्रशिक्षण का विवरण भेजे।

२. अगर एजेन्सी का माह जनवरी ०९ तथा उसके ...

३. अगर जनपदो में एजेन्सीयों को खराब प्रगति के कारण अनुबंध समाप्त किया गया हो उसको किया गया भुगतान व अनुबंध समाप्ति का विवरण भी भेजा जावे तथा उसके स्थान पर जनपदों द्वारा किया गया एम.आईएस. डाटा प्रविष्ट हेतु वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण भेजा जावे ।

४. अगर.एजेन्सी समयवद्ध प्रगति दी गई है तो एजेन्सी को भुगतान समय पर न करने केकारण

५. अगर एजेन्सी का कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से छः माहो से अधिक रहा परन्तु उसकी प्रगति खराब रही अथवा डाटा प्रवष्टि हेतु जनपद में पर्याप्त कार्य नही होने के बाबजूद एजेसी के कार्यकाल को निन्तर रखने के कारण व उनको किया गया कुल भुगतान ।

६. जिले में योजना प्रारभं से अब तक एम.आई.एस. कार्य हेतु नियुक्त एजेन्सीयों एवं/अथवा बैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त किये गये दैनिक वेतन/निसत परिश्रमिक पर रखे गये आपरेटर्स पर किया गया मासिक भुगमान का पूर्ण विवरण

७. एजेन्सी एवं/अथवा जनपद/जिले द्वारा एम.आई.एस कार्य पर लगाये गये प्रत्येक आपरेटर की नियुक्ति दिनांक , उसकी शैक्षणिक योग्यता, योजान्तर्गत दिये गया एम.आईएस. प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण

८. मुख्यालय के संदर्भित आदेश के बिन्दु क. ३.१,३.२ एवं ३.३ द्वारा एम.आई.एस. आउटसोर्स एजेन्सी के मासिक भुगतान, कटौत्री नियम व मुल्यांकन व अनुबंध समाप्ति व कालीसूचीवद्ध करने की प्रकिया निर्धाणि विहित हेतु अपनाई गई प्रकिया।

मुख्यालय के संदर्भित आदेश के बिन्दु क. ३.१,३.२ एवं ३.३ द्वारा एम.आई.एस. आउटसोर्स एजेन्सी के मासिक भुगतान, कटौत्री नियम व मुल्यांकन व अनुबंध समाप्ति व कालीसूचीवद्ध करने की प्रकिया निर्धाणि विहित रीति से किया जा रहा है अथवा नही उक्त कारणों के परीक्षण उपरांत जिलें को आउटसोर्स एजेन्सी को अब तक किये गये भुगतान व प्रगति के आकलन के बाद आगामी भुगतान की अनुमति पर विचार किया जावेगा।

(ए.के. सिंह) 12.3.09

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

१. संभागीय आयुक्त , समस्त

२. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त

12.3.09

(ए.के. सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

कार्यालय कलेक्टर
जिला - प. निमाड (खरगोन) म.प्र.
28 JUL 2009

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 9367/NREGS-MP/NR-6/2009 भोपाल, दि. 22/7/2009

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला .... म. प्र. (समस्त 50 जिले)

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण।

संदर्भ: 1. श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. ...011/2/2008-NREGA(MON) TS दिनांक 27 जून 2009।

विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के दौरान एम.आई.एस प्रतिवेदनों के वाचन के निर्देश दिए हैं, ताकि समुदाय को एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के परीक्षण और सत्यापन का अवसर प्राप्त हो।

पत्रानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र. 9366/NREGS-MP/NR-6/2009 भोपाल, दिनांक 21/7/2009

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत ....म. प्र. (समस्त 50 जिले), की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

C.E.O.
Z.P. Kgn.
28 JUL 2009

६ ८(छ)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं. /4869 NREGA-MIS/NR-10 / 2009 भोपाल दिनांक 31/07/2009

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ....
जिला (समस्त)

विषयः— एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में पंचायतो के मास्टर डेटा को सुधारने बावत्।

----0----

विषयांतर्गत लेख है कि जिलों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि जनपदों में ग्राम पंचायतों की स्थिति में बदलाव हुआ है। अतः जनपदवार उक्त अद्यतन ग्राम पंचायत एवं ग्रामों के डाटा को ऑनलाइन व ऑफलाइन डाटा में सुंधार किया जाना अपेक्षित है।

जिला संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में मार्गदर्शन पूर्व में दिये जा चुके हैं एवं वरिष्ठ डाटा मैनेजर के प्रशिक्षण में भी उन्हें स्पष्ट किया जा चुका है।

कुछ जिलों के द्वारा ग्राम पंचायतों की सूची परिषद् को प्रेषित की गई है, परन्तु अपेक्षित जानकारी न होने के कारण निराकरण करने में कठिनाइयाँ हैं। अतः कृपया निर्धारित प्रारूप में नवीन ग्राम पंचायत, विलोपित ग्राम पंचायत अथवा स्थानांतरित ग्राम पंचायतों की जानकारी भेजने का कष्ट करें, जिससे कि जनपदवार ग्राम पंचायतों की डायरेक्टरी (डाटाबेस) को दुरस्त कराने की कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त विषयांकित पत्र का प्रारूप संलग्न है। कृपया इसकी एक सॉफ्ट कापी madhuri@nic.in पर भेजने का कष्ट करें।

30.7.09
(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.

ग्राम पंचायतों की सूची जिनमें वर्ष 2002–03 के बाद संशोधन हुआ है/जो डेटा बेस में नहीं है/अथवा गलत है।

नवीन ग्राम पंचायत की जानकारी–

(अ)

क्रं.	नवीन ग्राम पंचायत का नाम	नवीन ग्राम पंचायत गठित होने की दिनांक	ग्रामों का नाम एवं कोड जो नवीन ग्राम पंचायत में सम्मिलित है।		पूर्व ग्राम पंचायत का नाम व कोड जहां से ग्राम स्थानांतरित होकर ग्राम पंचायत बना है।
			ग्राम का नाम	ग्राम का कोड	

(ब) ग्राम जिनकी पंचायत परिवर्तित हुई है

क्रं.	ग्राम का नाम व कोड जिसकी पंचायत परिवर्तित हुई है।		पुरानी ग्राम पंचायत का नाम व कोड
	कोड	नाम	

(स) ग्राम या ग्राम पंचायत जिनका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है।

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम एवं कोड		सम्मिलित ग्रामों का कोड जो वर्तमान में नहीं है।
	कोड	नाम	

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 11177 /NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 13/8/2009

प्रति

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
समस्त जिले, म.प्र.

विषयः– लेबर बजट तैयारी वर्ष 2010–2011

आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंट योजना अंतर्गत लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2010–11 तैयार करने हेतु भारत सरकार के लेबर बजट 2009–10 तैया करने हेतु निर्देश क्रं. D.O. No.J-11011/14/2007-NREGA (Pt) Date : 3rd September 0 तथा D.O. No.K-11011/2/2008-NREGA (MON) Dated : December 10, 2008 (संलग्न का अवलोकन करें। इस संबंध में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा समय–समय पर कार्यशाला एवं वीडिय कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेबर बजट तैयार करने हेतु मार्गदर्शन दिए जा चुके हैं।

1. भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का लेबर बजट तैयार किया जाना तथ उसे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन किय जाना अनिवार्य है। तदुपरान्त जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लेबर बजट 2010–11 को माह जनवरी तक भारत सरकार को प्रेषित करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत बजट का आवंटन क आधार लेबर बजट होता है।
2. आगामी पंचायतों राज चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए योजनांतर्गत लेबर बजट 2010–11 की भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा से पूर्व तैयारियाँ करना आवश्यक है। इस हेतु कृपया निम्नानुसार समय सीमा में कार्यवाई करने का कष्ट करें।

सरल क्रं	लेबर बजट हेतु गतिविधि	भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा	चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय–सीमा
01	ग्राम सभाओं का आयोजन कराना तथा ग्राम पंचायतों की रोजगार की मांग का आंकलन तथा वार्षिक कार्यों का चयन व प्राथमिकता का निर्धारण कर ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराना।	प्रत्येक वर्ष अक्टूबर की ग्राम सभा	15 अगस्त 2009 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा

(51)

	समस्त ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित लेबर बजट को तथा जनपद स्तर के कार्यों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारिण कर जनपद पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना तथा 15 दिवस के अंदर, अनुमोदन कराना।	नवम्बर तक तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह
03	जनपद के अनुमोदित लेबर बजट को जिला पंचायत को प्रेषित करना।	नवम्बर माह के अंत तक	सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक
04	जनपद द्वारा प्रस्तुत शेल्फ ऑफ प्रोजक्ट तथा लेबर बजट तथा जिला पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना।	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	सितम्बर माह का द्वितीय सप्ताह तक
05	ग्राम पंचायतों की लेबर प्रोजेक्शन तथा ग्राम पंचायत, जनपद स्तर तथा जिला स्तर तक के कार्यों का चयन तथा प्राथमिकता तय कर जिले का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तथा लेबर बजट का जिला पंचायत से अनुमोदन।	31 दिसम्बर तक	30 सितम्बर तक
06	जिलों द्वारा जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट को राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को प्रेषित करना।	15 जनवरी तक	15 अक्टूबर तक

लेबर बजट के कैलेंडर में संशोधन इस कारण किया जा रहा है कि समस्त जिलों का लेबर बजट पंचायत चुनाव 2009 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से पूर्व तैयार किया जा सके तथा भारत सरकार को जिले का लेबर बजट समय–सीमा में प्रेषित किया जा सके। लेबर बजट के संबंध में मार्गदर्शन हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के संयुक्त आयुक्त प्रशासन या सिस्टम एनालिस्ट से संपर्क किया जा सकता है।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग
12/08/09

पृ.क्र./11178/NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 13/8/2009

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र., समस्त जिला पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपायुक्त, विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग
12/08/09

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59– अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / 1182 /NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 20/8/2009

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला .... (समस्त 50 जिले)

विषय :– Enforcing Social Audits under NREGA by 1st September 2009

संदर्भ:– भारत शासन का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O.No. K-11011/2/2008-NREGA (MON/TS) dated 12th August 2009

———0———

कृपया संदर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करें, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/8/2009 को नई दिल्ली में स्टेट नोडल आफिसर एम.आई.एस. की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सोशल आडिट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोशल आडिट की डाटा एन्ट्री एम.आई.एस. में कराने हेतु निर्देश दिए गए थे। संदर्भित पत्र द्वारा सोशल आडिट की जानकारी निम्न बिन्दुओं पर एन.आर.ई.जी.ए. की वेबसाइट (www.nrega.nic.in) पर फीड किया जाना है।

1. Issue Raised & Action Taken (Summary)
2. Verification of Documents & Observation
3. Grievance Submitted & Action Taken
4. Minutes of the meeting

निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त जानकारी संकलित कराकर भारत सरकार की वेबसाइट पर सोशल ऑडिट माड्यूल पर प्रविष्टि दिनांक 25.08.09 तक करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(उवैस अहमद) 20/8/2009.
सिस्टम एनालिस्ट एवं स्टेट नोडल अधिकारी
(एम.आई.एस.)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59– अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/1149/NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 20/8/2009

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के MIS SOFTWARE में जॉब कार्डधारियों की जानकारी अद्यतन करने बाबत्।

संदर्भ:– भारत शासन का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O.No. K-110112/2/2008-NREGA (MON/TS) dated 9th July 2009

———0———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जॉब कार्डधारियों की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के एम.आ एस. साफ्टवेयर के Latest offline version में अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु बी.पी.एल. परिवारों जानकारी (hyper link "Update BPL-Family Status & Applicant's Relationship") एवं बैंक/पोस्ट आफिस खातों की जानकारी (hyper link "Update Applicant Bank/Post Office A/c Nos.) एवं Job Card पर फोटो च की जानकारी एन.आर.ई.जी.ए. डाटाबैस में अद्यतन की जाना है।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करने हेतु माह मई/जून/जुलाई 2009 में आयोजित नियमित वीडि कांफेसिंग एवं समीक्षा बैठकों में ग्राम पंचायतों के जॉबकार्ड डाटा एवं बैंक एकाउन्ट, बी.पी.एल. की जानकारी अपडेट करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। ✓

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त इंद्राज 31 अगस्त 2009 तक अनिवार्य रूप से अपडेट कर अपलोड कि जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/1150/NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 20/8/2009

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. भोपाल

(54)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्र./12106/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009

भोपाल दिनांक 7/09/2009

प्रति,

1. ज़िला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .....(समस्त 30 जिले, द्वितीय एवं तृतीय चरण के जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः– एम.आई.एस. के माध्यम से मासिक प्रगति पत्रक का सृजन।

———0———

जैसा की पूर्व में आपको सूचित किया गया था कि एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. सृजित करने के निर्देश ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गये थे, इस संबंध में निर्धारित समय सीमा से आपको अवगत कराया गया था। उक्त के संबंध में पुनः आपको सूचित किया जाता है कि आपके जिले के माह अगस्त 2009 का मासिक प्रगति पत्रक एम.आई.एस. के माध्यम से सृजित किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10 सितम्बर 2009 तक आपके जिले की समस्त एम.आई.एस. डाटा इन्ट्री में सुधार एवं वैलिडेशन करा लिया जाय, ताकि एम.आई.एस. से सृजित होने वाले मासिक प्रगति पत्रक में डाटा इन्ट्री की त्रुटियां सम्मिलित न हों।

उक्त के संबंध में प्रत्येक माह की 11 तारीख को एम.आई.एस. में प्रदर्शित होने वाली प्रगति को वास्तविक प्रगति माना जावेगा। वर्तमान में फीड किये जा रहे मासिक प्रगति पत्रक जिले द्वारा नियमित रूप से फीड किया जावेगा, किंतु राशि आवंटन हेतु जिले के एम.आई.एस. से सृजित होने वाले मासिक प्रगति पत्रक को ही वास्तविक माना जावेगा।

श्रीमती माधुरी शर्मा, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा दूरभाष यह अवगत कराया गया कि आनलाईन एम.आई.एस. डाटा में सुधार हेतु जिले के कर्मचारियों/आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा एन.आई.सी. कर्मचारियों को प्रलोभन दिये जाते है, जो कि अत्यंत चिंतनीय विषय है। कृपया जिले में उक्त गतिविधियों के संबंध में जॉच करे, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई आउटसोर्स एजेंसी लिप्त पाई जाती है तो उन्हें हटाकर ब्लैक लिस्ट करें तथा जो अधिकारी/कर्मचारी लिप्त पाए जायें उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित अवधि में करना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित दिनांक को आपका मासिक प्रगति पत्रक एम.आई.एस. के माध्यम से सृजित किया जा सके।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्र. 12106
7/09/09

55

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./१२९७/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल दिनांक 1/09/2009

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत
   जिला .....(समस्त)

2. वरिष्ठ डाटा प्रबंधक/एम.आई.एस. नोडल अधिकारी
   जिला पंचायत
   जिला .....(समस्त)

विषयः– सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी वेबसाईट पर फीड करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक D.O.K-11011/2/2008-NREGA(MCN)/TS Dated 12th August 2009
2. परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं./11502/NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल दिनांक 20.08.2009।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक /D.O.No. J-16012/1/09-NREGA दिनांक 27 अगस्त 2009।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के परिपालन में संदर्भित पत्र क्रं. 2 द्वारा आपको भारत सरकार की वेबसाईट पर ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी भरने हेतु निर्देश दिए गए थे। उक्त के तारतम्य में अधिकतर जिलों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर की जानकारी भर दी गई है किन्तु ग्राम पंचायतवार संपादित सामाजिक अंकेक्षणों का कार्यवाही विवरण निर्धारित बिंदुओं के आधार पर नहीं भरा गया है। इस पर भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के माध्यम असंतोष व्यक्त किया गया है।

कृपया भारत सरकार की वेबसाईट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध सोशल आडिट प्रपत्र का अवलोकन करें। वेबसाईट पर निम्न सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्र उपलब्ध हैं।

1. Issue Raised & Action Taken (Summary)
2. Verification of Documents & Observation
3. Grievance Submitted & Action Taken
4. Minutes of the meeting

उक्त जानकारी की दो दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रविष्टि हो जाए अन्यथा व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। प्रविष्टि कार्य में किसी समस्या के संबंध में परिषद मुख्यालय के सहायक प्रबंधक श्री पीयूष प्रताप सिंह मोबाईल नम्बर 9425887542 से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

अतः चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15 सितम्बर 2009 तक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। उक्त के संबंध में कोई तकनीकी समस्या होने पर प्रविष्टी का वेबसाईट प्रकाशन नही होने की स्थिति में तत्काल परिषद् कार्यालय से संपर्क करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रं./2229/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल दिनांक 11/09/2009

प्रतिलिपिः–

श्रीमती अनिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/12795/MIS/NR-10

भोपाल, दिनांक 05/10/09

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
   जिला समस्त
   जिला.....
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत (समस्त)
   जिला .....

विषय :– लेबर बजट 2009–10 पुनरीक्षित करने के संबंध में।

संदर्भः– ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के D.O.No. : G-20011/2/2009-NREGA, 18TH September, 2009.

———0———

विषयांतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2009–10 को विगत छः माह की प्रगति तथा अगामी छः माह के रोजगार की मांग के आंकलन के आधार पर पुनरीक्षित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अप्रैल 09 से सितम्बर 09 तक की प्रगति एवं माह अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक रोजगार की मांग एवं राशि का आंकलन ग्राम सभाओं में पुनरीक्षित किया जाना है।

जिलों में 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त ग्राम सभाओं में अर्द्धवार्षिक लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2009–10 पुनिरीक्षण हेतु प्रस्तुत कराकर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों से अनुमोदित कराया जाय । उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेबर बजट 2009–10 हेतु आगामी 6 माहों में (अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक) रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यों हेतु रोजगार की मांग , किये जाने वाले कार्यो एवं राशि की जिले की आवश्यकतो को लेबर बजट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में 15 अक्टूबर 2009 तक परिषद् कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

निर्देशानुसार प्रस्ताव के साथ कलेक्टर/डीपीसी का इस आशय का प्रमाण होना आवश्यक है ही, माह अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक पुनरीक्षित लेबर बजट का अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से करा लिया गया है।

3.10.09

(ए.के.सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

58

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्र./12797/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 5/10/2009

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ....(समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषय :– लेबर बजट 2010-11 संशोधन करने बाबत।

संदर्भ :– (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 11060/3/2009/NREGA दिनांक 1 सितम्बर 2009 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना, नई दिल्ली, 22 जुलाई 2009

(2) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्र0/11177 दिनांक 13/8/2009 ।

———0———

कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 13/8/2009 का अवलोकन हो। ग्राम पंचायतों के लेबर बजट 2010–11 में लेबर प्रोजेक्शन के अनुसार वार्षिक शेल्फ ऑफ वर्क 2010–11 तैयार किया जाना है।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 1 सितम्बर 2009 एवं अधिसूचना अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा के अनुसूचि [illegible] 1 के उप पैरा 4 में लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि पर हितग्राही मूलक कार्यों को सम्मिलित किया गया है सुलभ संदर्भ हेतु अधिसूचना एवं भारत सरकार का पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार वार्षिक शेल्फ ऑफ वर्क 2010–11 तैयार किया जाना है। अतः 2 अक्टूबर 2009 से आयोजित होने वाली ग्रामसभा में वार्षिक शेल्फ ऑफ वर्क 2010–11 का अनुमोदन कराया जावे।

निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के उक्त सेल्फ ऑफ वर्क में हितग्राही मूलक कार्यो में अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राथमिकता दी जाना होगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

3.10.09

(ए. के. सिंह)
संयुक्त संचालक (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931

No. 1158] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

का.आ. 1824(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है । उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधिकरण और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का उपबंध ।"

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 में संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किए गए :

1. का. आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का. आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का. आ. 2999(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2008

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2009

S.O. 1824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(iv) provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008."

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following Notification Numbers :

1. S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008

2725 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

60

MOST IMMEDIATE

No.11060/3/2009-NREGA
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi 110114
[illegible] September 2009

The Principal Secretary/Secretary(Rural Development)
Government of

Subject:- Amendment to Schedule I Para 1(iv) of NREG Act

Ministry of Rural Development notified the amendment to Schedule I Para 1(iv) of NREG Act vide Notification dated 22nd July 2009 as under -

"provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008."

2. In order to ensure due compliance with the amendment notified and creation of durable assets and strengthening the livelihood resource base of the rural poor, the following directions are issued in accordance with Section [illegible] of National Rural Employment Guarantee Act.

i) Works on the land of Scheduled Castes and Scheduled Tribes households will be taken on priority. Once works on the lands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are saturated in a Gram Panchayat, works on lands of small and marginal farmers may be considered.

ii) Works on lands of small and marginal farmers will be of water conservation and water harvesting like construction of dug wells and farm ponds, recharge structures on existing well and conveyance systems.

(61)

iii) Following conditions as notified vide Notification dated 18th June 2008 are also required to be fulfilled while executing the above said directions.

a) The individual land owner shall be a Job Card holder and also work in the project;
b) For each such project, the labour material ratio of 60:40 shall be maintained at the Gram Panchayat level;
c) Projects shall be approved by the Gram Sabha and the Gram Panchatat and shall be part of the annual shelf of projects.
d) No contractors or machinery shall be used in the execution of work
e) No machinery shall be purchased.

(Amita Sharma)
Joint Secretary to the Government of India
Tele 2338 502

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

क्रमांक/13473/NREGA/MIS/NR-10 भोपाल, दिनांक 27-10-09

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत ..... (समस्त जिले)

2. वरिष्ठ डाटा मैनेजर,
   जिला ..... (समस्त जिले)

विषय :— राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना म.प्र. अंतर्गत एम.आई.एस. में दर्ज डाटा के सत्यापन बाबत्।

———0———

एम.आई.एस. में दर्ज मस्टररोल एवं कार्य पर सामग्री व्यय का विवरण की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराकर एम.आई.एस. में दर्ज उपरोक्त मस्टररोल एवं बिल/व्हाउचर्स का सत्यापन करना अत्यंत आवश्यक है। परिषद द्वारा वीडियो कान्फेरेंसिंग एवं नियमित समीक्षा बैठकों में एम.आई.एस. में दर्ज डाटा के सत्यापन करने के संबंध में जिलों को निर्देशित किया जाता रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रति जनपद पर मस्टररोल एवं कार्य के व्यय पर विवरण के सत्यापन का रिकार्ड संधारित करने के लिए रजिस्टर संधारित किया जाये जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी से मस्टररोल प्राप्त होने, मस्टररोल एम.आई.एस. में दर्ज होने, मस्टररोल वेरीफिकेशन हेतु संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराने एवं इससे पुनः वापिस प्राप्त होने की दिनांक का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। उक्त रजिस्टर पर कार्यक्रम अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

27-10-09

(ए.के.सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रं./14522/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 20/11/2009

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .....(समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ :– 1. परिषद का पत्र क्रमांक 11469/NREGA-MIS/NR–10 दिनांक 20.8.2009
2. परिषद का ई–मेल दिनांक 16.10.2009
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-11060/9/2008-NREGA दिनांक 22 अक्टूबर 2009 ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित क्रमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की जानकारी (hyper link "Update BPL-family Status & Applicant's Relationship") एवं बैंक/पोस्ट आफिस के खातों की जानकारी (hyper link "Update Applicant Bank/Post Office A/c Nos.) एवं जॉबकार्ड पर फोटो चस्पा की जानकारी एनआरईजीए डाटा बेस में अद्यतन किये जाने के निर्देश वीडियो कांफ्रेसिंग एवं समीक्षा बैठकों में दिये जा चुके है।

संलग्न संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 3 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के संबंध में जानकारी चाही है, कृपया निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रेषित करें । एम.आई.एस. के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 के समस्त मस्टररोल एवं परिवारों का बी.पी.एल. डाटा अद्यतन करना होगा ।

अतः ग्राम पंचायतों का एम.आई.एस. हेतु कार्यक्रम तैयार कर रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एम.आई.एस. में बी.पी.एल. परिवारों का डाटा अधिकतम 15 जनवरी 2010 तक अद्यतन कर लें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार । संदर्भित पत्र क्र 1 एवं 3

18.11.09

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पृ.क्रं./1452/MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 20/11/2009

प्रतिलिपिः–

श्री एस.के.सिंह, संचालक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, सरकार, नई दिल्ली की ओर आपके संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-11060/9/ NREGA दिनांक 22 अक्टूबर 2009 के परिपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

20.11.09

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,